न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व वाद पत्र संख्या 1815/2017(2017/01391)

1.श्रीमति कान्ता देवी पत्नि श्री राधेश्याम
2.बनवारी पुत्र ताराचंद
3.कैलाश पुत्र ताराचंद
4.कुन्ज बिहारी पुत्र ताराचंद
समस्त जाति सोनी निवासीगण कादेड़ा तहसील केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)

——वादीगण

बनाम

1. नंदलाल पुत्र श्री भूरा उम्र व्यस्क
2. गंगाधर पुत्र श्री भूरा उम्र व्यस्क
3. महावीर पुत्र भूरा उम्र व्यस्क
4. शैतान पुत्र रघुनाथ उम्र व्यस्क
5. भोली पत्नि श्री रघुनाथ उम्र व्यस्क
6. पुष्पा पुत्री श्री रघुनाथ उम्र व्यस्क
7. लक्ष्मी पुत्री श्री रघुनाथ उम्र व्यस्क जाति दरोगा निवासीगण कादेड़ा तहसील केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)
8. श्री रसाल देवी पत्नि श्री स्व0 रामप्रसाद उम्र व्यस्क दरोगा
9. भंवरीदेवी पत्नि दीनदयाल उम्र व्यस्क जाति दरोगा
10. बलवन्त सिंह पुत्र दीनदयाल उम्र व्यस्क जाति दरोगा
11. सीमा पुत्री स्वर्गीय दीनदयाल जाति दरोगा व्यस्क
12. उमा पुत्री स्वर्गीय दीनदयाल जाति दरोगा व्यस्क
13. बीरम पुत्री स्वर्गीय रामप्रसाद जाति दरोगा उम्र व्यस्क
    समस्त निवासीगण आनासागर रोड चर्च हाल के पास किशनगंज अजमेर जिला अजमेर (राजस्थान)
14. दशरथ पुत्र श्री लादू उम्र व्यस्क जाति दरोगा उम्र व्यस्क निवासी कादेड़ा तहसील केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान)
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

——प्रतिवादीगण

वादपत्र अंतर्गत धारा 188,53,209 राज0टेनेन्सी एक्ट

उपस्थितः—श्री मीठूसिंह राठौड वकील — वादीगण
एक तरफा कार्यवाही—प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक 09.02.2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीयां ने वादपत्र बाबत् बॅटवारा हेतु प्रस्तुत किया। पक्षकारान को विधिवत सुनवाई का अवसर दिया जाकर दिनांक 28.05.2018 को निर्णय प्रारम्भिक डिकरी परित किया [illegible] कादेडा की राजस्व जमाबंदी संवत् 2069—72 के खाता संख्या नया—पुराना [illegible] 57 है0 मुताबिक जमाबंदी बॅटवारा किया जाने हेतु स्वीकार किया गया था [illegible] तहसीलदार केकड़ी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया था कि वे वादग्रस्त आराजी की बॅटवारा प्रस्ताव मुताबिक जमाबंदी दर्ज हिस्से व मौका अनुसार तैयार कर मय मौका पर्चा व नक्शा ट्रेस के भिजवाने हेतु निर्देश जारी किया गया था।तहसीलदार केकड़ी द्वारा उनके प्रस्ताव कमांक/राजस्व/2020/1361 दिनांक 21.08.2020 के द्वारा बॅटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ। तहसीलदार केकड़ी द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते समय दोनो पक्षकारो को मौके पर बुला कर बंटवारा करवाया जाना प्रस्ताव से पाया जाता है।वकील वादी को बंटवारा प्रस्ताव स्वीकृत करने मे कोई आपत्ति नहीं है। वकील वादी ने तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रेषित बॅटवारा प्रस्ताव के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किये

———लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 14:13:01 IST
Reason: SelfAttested

Web Copy - Not Official

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी
राजस्व वाद संख्या 1815/17
कान्ता देवी वगै0 बनाम नंदलाल वगै0
निर्णय दिनांक 09.02.21

जाने की सहमति दी है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार बँटवारा किया जाकर पक्षकारान् के अलग अलग खाते कायम किये जावे:–

क्रमांक	नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा (है0)	किस्म	लगान
1.	1.कुंजबिहारी पुत्र ताराचंद हि0 1/16 जाति सुनार साकिन देह खातेदार पूर्ण खाता स्टेट बैंक आंफ इण्डिया शाखा कादेड़ा 2.कैलाश चंद पुत्र ताराचंद हि0 1/16 जाति सुनार साकिन देह खातेदार पूर्ण खाता स्टेट बैंक आंफ इण्डिया शाखा कादेड़ा 3.कान्ता देवी पत्नि राधेश्याम हि0 1/16 जाति सुनार साकिन देह खातेदार पूर्ण खाता स्टेट बैंक आंफ इण्डिया शाखा कादेड़ा 4.बनवारी लाल पुत्र ताराचंद हि0 1/16 जाति सुनार साकिन देह खातेदार पूर्ण खाता स्टेट बैंक आंफ इण्डिया शाखा कादेड़ा	313/1	0.3975	बारानी1	2.355
2.	1.गंगाधर पुत्र भूरा हि01/16जाति दरोगा सा0 देह खातेदार 2.दशरथ पुत्र लादू हि01/4 जाति दरोगा सा0 देह खातेदार, 3.नंदलाल पुत्र भूरा हि01/16 जाति दरोगा सा0 देह खातेदार 4.पुष्पा पुत्री रघुनाथ हि0 1/64 जाति दरोगा सा0 देह खातेदार 5.भोली पत्नि रघुनाथ हि0 1/64 जाति दरोगा सा0 देह खातेदार 6.महावीर पुत्र भूरा हि01/16 जाति दरोगा सा0 देह खातेदार 7.रामप्रसाद पुत्र जयकिशन हि0 1/4 जाति दरोगा सा0 देह खातेदार 8.लक्ष्मी पुत्री रघुनाथ हि0 1/64 जाति दरोगा साकिन देह खातेदार 9.शैतान पुत्र रघुनाथ हि01/64 जाति दरोगा साकिन देह खातेदार	313	1.1775	बारानी 1	7.065

वादीगण 100/–रू का नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पत्र [illegible] तब अंतिम डिकरी उक्तानुसार जारी की जावे। तहसीलदार केकड़ी उक्तानुसार [illegible] राजस्व रेकार्ड व नक्शें ट्रेंस मे अमल दरामद करने की कार्यवाही करे। खर्चा [illegible] अपना अपना वहन करे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2021.07.21 14:13:01 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला–अजमेर

Scanned with CamScanner